

गणेशन

बनाम

राज्य, थाना प्रभारी अधिकारी के माध्यम से

2021 की दांडिक अपील संख्या 903

29 अक्टूबर 2021

[माननीय न्यायमूर्ति श्री डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री एम. आर. शाह]

भारतीय दंड संहिता, 1860: धारा 397 – प्रयोज्यता – अभिनिर्धारित: किसी प्रकरण को धारा 397 के अंतर्गत लाने के लिए यह आवश्यक है कि वह अपराधी जिसने किसी घातक हथियार का प्रयोग किया हो या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाई हो, वही धारा 397 के अंतर्गत न्यूनतम दंड का भागी होगा। धारा 397 में प्रयुक्त “अपराधी” शब्द उसी अपराधी तक सीमित है जिसने घातक हथियार का प्रयोग किया हो, और डकैती करते समय एक अपराधी द्वारा घातक हथियार का प्रयोग किया जाना, उस अन्य अपराधी पर धारा 397 के अंतर्गत न्यूनतम दंड लागू नहीं कर सकता जिसने स्वयं किसी घातक हथियार का प्रयोग नहीं किया हो।

भारतीय दंड संहिता, 1860: धाराएँ 391, 395, 397 – अभियोजन का मामला यह था कि घटना की रात अभियुक्त सं.1 से अभियुक्त सं.5 तक, डकैती करने के उद्देश्य से, चाकू और लोहे की पाइप लेकर एक कार से आए और उस स्थान पर पहुँचे जहाँ अभियोजन साक्षी-1 साइकिल से आ रहा था – अभियुक्त सं.1 कार में ही रहा – अभियुक्त सं.2 से अभियुक्त सं.5 ने अभियोजन साक्षी-1 को धक्का दिया, अभियुक्त सं.3 ने लोहे की रॉड से उसके सिर पर प्रहार किया और उनमें से एक ने साइकिल के हैंडल पर टंगे बैग को छीन लिया, जिसमें ₹60,000 तथा 16 ग्राम आभूषण थे – जब अभियोजन साक्षी-2 ने अभियुक्त सं.2 से अभियुक्त सं.5 को भागने से रोकने का प्रयास किया, तो अभियुक्त सं.2 ने उसके सिर

पर राँड से हमला किया - सभी अभियुक्त बैग लेकर वहाँ से भाग गए - अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप निर्धारित किए गए, सिवाय 'अभियुक्त 'ब' (फरार अभियुक्त)' के, जिसका पृथक रूप से विचारण किया गया - विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को धारा 397 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया - अपीलीय न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने भी दोषसिद्धि की पुष्टि की - तत्पश्चात अभियुक्त सं.1 और अभियुक्त सं.3 द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई। अभिनिर्णीत: घातक हथियार के प्रयोग का आरोप अभियुक्त सं.2 तथा अभियुक्त 'ब' के विरुद्ध था - अपीलकर्ताओं (अभियुक्त सं.1 एवं अभियुक्त सं.3) पर किसी भी हथियार के प्रयोग का आरोप नहीं था - अतः अपीलकर्ताओं द्वारा किसी घातक हथियार के प्रयोग के अभाव में धारा 397 लागू नहीं होगी और इस सीमा तक उन्हें धारा 397 के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जाना चाहिए था। जहाँ तक धारा 391 के अंतर्गत अपराध का प्रश्न है, अपीलकर्ताओं का यह तर्क था कि धारा 391 के अंतर्गत भी कोई मामला सिद्ध नहीं होता और उन्हें धारा 395 के अंतर्गत दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए पाँच या अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से डकैती किया जाना सिद्ध होना आवश्यक है, जबकि इस मामले में केवल चार व्यक्तियों का विचारण हुआ और अभियोजन पाँच या अधिक व्यक्तियों की संलिप्तता सिद्ध करने में विफल रहा - तथापि, प्राथमिकी में पाँच व्यक्तियों के सम्मिलित होने का उल्लेख था - आरोपपत्र भी पाँच व्यक्तियों के विरुद्ध दायर किया गया था - दो अभियुक्तों के फरार होने के कारण विचारण पृथक कर दिया गया और तीन अभियुक्तों का विचारण हुआ - अभियुक्त 'ब' का बाद में विचारण किया गया तथा एक अभियुक्त अभी भी फरार है - इसके अतिरिक्त, अधीनस्थ सभी न्यायालयों द्वारा यह समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किया गया कि डकैती के अपराध में पाँच व्यक्ति सम्मिलित थे - केवल इस कारण कि कुछ अभियुक्त फरार रहे और पाँच से कम व्यक्तियों का विचारण हुआ, यह नहीं कहा जा सकता कि धारा 391 के अंतर्गत अपराध सिद्ध नहीं होता - विचारणीय तथ्य यह है कि पाँच या अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से डकैती की गई या उसका प्रयास किया गया, न कि यह कि पाँच या अधिक व्यक्तियों का विचारण हुआ या नहीं

- एक बार यह प्रमाणित हो जाए कि पाँच या अधिक व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से डकैती की या उसका प्रयास किया, तो मामला धारा 391 के अंतर्गत आएगा और 'डकैती' की परिभाषा में सम्मिलित होगा - अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में, अपीलकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 391 के अंतर्गत दंडनीय अपराध (धारा 395) के लिए दोषसिद्ध किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

भारतीय दंड संहिता, 1860: धारा 395 एवं धारा 397 - आवश्यक अवयव - 'डकैती' मूलतः 'लूट' का ही विस्तारित रूप है, जिसमें मुख्य अंतर अभियुक्तों की संख्या का होता है - अतः यदि किसी मामले में अभियुक्त को धारा 397 के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जाता है, तब भी उसे धारा 395 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है और इससे उसे कोई हानि नहीं होगा, क्योंकि अंततः अभियोजन को 'लूट' तथा 'डकैती' दोनों को सिद्ध करना होता है, चाहे अपराध धारा 395 के अंतर्गत दंडनीय हो या धारा 397 के अंतर्गत। हालाँकि, किसी अभियुक्त के विरुद्ध धारा 397 लागू करने के लिए अभियोजन को एक अतिरिक्त तथ्य सिद्ध करना आवश्यक है, अर्थात् अपराधी द्वारा किसी घातक हथियार का प्रयोग किया गया हो, या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाई गई हो, या किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास किया गया हो।

दांडिक न्यायशास्त्र: अभियुक्त 'ब' का दोषमुक्ति, जिसका पृथक रूप से विचारण हुआ क्योंकि घटना के बाद वह फरार हो गया था - अन्य अभियुक्तों द्वारा 'ब' की दोषमुक्ति का लाभ दावा किया गया - अभिनिर्णीत: अभियुक्तों का विचारण तथा दोषसिद्धि उस साक्ष्य के आधार पर की जानी चाहिए जो उस विचारण में प्रस्तुत किया गया है जिसमें उन्हें दोषसिद्ध किया गया है - अभियुक्त 'ब' का विचारण 15 वर्षों के बाद हुआ क्योंकि उसके फरार रहने के कारण उसका विचारण पृथक कर दिया गया था - 'ब' के मामले में पारित दोषमुक्ति आदेश से यह प्रतीत होता है कि उसके विचारण के दौरान अभियोजन साक्षी-1 पक्षद्रोह हो गया था - 'ब' के मामले में केवल पाँच साक्षियों का परीक्षण किया गया और

अन्य साक्षियों का परीक्षण किन्हीं कारणों से नहीं किया गया - वर्तमान मामले में, अभियोजन साक्षी-1 ने न केवल अभियोजन के मामले का समर्थन किया बल्कि कुल 15 साक्षियों का परीक्षण भी किया गया - अतः केवल इस आधार पर कि बाद में पृथक विचारण में 'ब' को दोषमुक्त कर दिया गया, उस दोषमुक्ति का लाभ अपीलकर्ताओं-अभियुक्तों को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अभियोजन उनके विरुद्ध अपना मामला सिद्ध करने में सफल रहा है।

अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्णीत किया:

1.1 भारतीय दंड संहिता की धारा 390 के अनुसार 'लूट' के लिए या तो चोरी या जबरन वसूली होना आवश्यक है। जब चोरी करते समय, या चोरी की गई संपत्ति को ले जाते समय या ले जाने का प्रयास करते समय, अपराधी स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को मृत्यु या चोट पहुँचाता है या पहुँचाने का प्रयास करता है, अथवा किसी को अवैध रूप से बाधित करता है या तत्काल मृत्यु, तत्काल चोट या तत्काल अवैध बाधा का भय उत्पन्न करता है, तब ऐसी चोरी को 'लूट' कहा जाएगा। इसी प्रकार की स्थिति में 'जबरन वसूली' भी 'लूट' मानी जाएगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 391 'डकैती' को परिभाषित करती है। जब पाँच या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से लूट करते हैं या लूट करने का प्रयास करते हैं, तब इसे 'डकैती' कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के अनुसार, जो कोई लूट करता है, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकती है, तथा वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। [कंडिका 12.3] [534-एफ-जी; 535-ए-बी]

1.2 भारतीय दंड संहिता की धारा 393 के अनुसार, लूट करने का प्रयास भी दंडनीय है और इसके लिए सात वर्ष तक के कठोर कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 394 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति लूट करते समय या लूट करने का प्रयास करते समय स्वेच्छा से किसी को चोट पहुँचाता है, तो ऐसा व्यक्ति तथा उसके साथ संयुक्त रूप से लूट करने या उसका प्रयास करने वाला अन्य कोई व्यक्ति, आजीवन

कारावास या दस वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा तथा वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 395 'डकैती' के लिए दंड का प्रावधान करती है। जो कोई डकैती करता है, उसे आजीवन कारावास या दस वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा तथा वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। [कंडिका 12.3] [535-सी-ई]

1.3 यदि डकैती के दौरान हत्या की जाती है, तो जब पाँच या अधिक व्यक्तियों में से कोई एक, जो संयुक्त रूप से डकैती कर रहे हैं, उसी डकैती के दौरान हत्या करता है, तो उन सभी व्यक्तियों को मृत्यु दंड, या आजीवन कारावास, या दस वर्ष तक के कठोर कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के अनुसार, यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक हथियार का प्रयोग करता है, या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाता है, या मृत्यु अथवा गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास करता है, तो ऐसे अपराधी को दिया जाने वाला कारावास सात वर्ष से कम नहीं होगा। इसी प्रकार, यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक हथियार से लैस हो, तो भी उसे कम से कम सात वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। इन प्रावधानों का संयुक्त रूप से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि 'लूट' का होना अनिवार्य है। 'डकैती' को लूट का विस्तारित रूप कहा जा सकता है। यदि पाँच या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से लूट करते हैं या उसका प्रयास करते हैं, तो इसे 'डकैती' कहा जाएगा। अतः 'लूट' और 'डकैती' के बीच मुख्य अंतर केवल व्यक्तियों की संख्या का है, जो संयुक्त रूप से लूट करते हैं या उसका प्रयास करते हैं। 'लूट' और 'डकैती' दोनों के लिए दंड समान है, किन्तु 'डकैती' के मामले में दंड आजीवन कारावास भी हो सकता है। वहीं, 'हत्या सहित डकैती' के मामले में मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। हालाँकि, जहाँ अपराधी किसी घातक हथियार का प्रयोग करता है या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाता है, या मृत्यु अथवा गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास करता है, वहाँ ऐसे अपराधी को कम से कम सात वर्ष का कारावास दिया जाएगा। धारा 397 के अंतर्गत मामला लाने के लिए यह आवश्यक है कि वही अपराधी जिसने घातक हथियार का प्रयोग किया हो या गंभीर

चोट पहुँचाई हो, उसे न्यूनतम दंड दिया जाएगा। [कंडिका 12.3, 12.4] [535-ई-एच; 536-ए-सी]

2.1 भारतीय दंड संहिता की धारा 392 और धारा 390 भिन्न शब्दों में विन्यस्त हैं। धारा 390, 394, 397 तथा 398 में 'अपराधी' शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः धारा 390 से 398 तक के प्रयोजनों के लिए वही अपराधी/व्यक्ति, जिसने लूट की हो और/या स्वेच्छा से चोट पहुँचाई हो या ऐसी लूट करने का प्रयास किया हो, तथा जिसने किसी घातक हथियार का प्रयोग किया हो या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाई हो, या लूट या डकैती करते समय किसी व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास किया हो, वही इन धाराओं (390, 392, 393, 394, 395, 397 एवं 398) के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। अभियुक्त को मात्र प्रत्यक्ष दायित्व के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता और केवल वही 'अपराधी' जो 'किसी घातक हथियार का प्रयोग करता है...' दंडित किया जा सकता है। हालाँकि, जहाँ तक धारा 391 (डकैती) तथा धारा 396 (हत्या सहित डकैती) का संबंध है, वहाँ अभियुक्त को प्रत्यक्ष दायित्व के आधार पर दोषसिद्ध किया जा सकता है, किन्तु इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि पाँच या अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से लूट करने या उसका प्रयास करने में संलिप्तता सिद्ध हो – अर्थात् डकैती/हत्या सहित डकैती। [कंडिका 12.4] [536-डी-एफ]

2.2 भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के अंतर्गत 'अपराधी' शब्द उसी अपराधी तक सीमित है जो किसी घातक हथियार का प्रयोग करता है, और डकैती के समय एक अपराधी द्वारा घातक हथियार का प्रयोग किया जाना, उस अन्य अपराधी पर धारा 397 के अंतर्गत न्यूनतम दंड लागू नहीं कर सकता जिसने स्वयं किसी घातक हथियार का प्रयोग नहीं किया हो। यहाँ तक कि धारा 397 और धारा 398 के बीच भी अंतर है। धारा 397 में प्रयुक्त शब्द है 'किसी घातक हथियार का प्रयोग करता है', जबकि धारा 398 में प्रयुक्त शब्द है 'अपराधी किसी घातक हथियार से लैस है'। अतः धारा 397 तभी लागू होगी जब अपराधी

वास्तव में किसी घातक हथियार का 'प्रयोग' करे। अभियोजन के मामले तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार यह स्पष्ट है कि अभियुक्त सं.1 तथा अभियुक्त सं.3 पर किसी भी हथियार के प्रयोग का आरोप नहीं है। किसी हथियार के प्रयोग का आरोप अभियुक्त सं.2 तथा अभियुक्त 'ब' के विरुद्ध था। अतः अपीलकर्ताओं (अभियुक्त सं.1 एवं अभियुक्त सं.3) द्वारा किसी घातक हथियार के प्रयोग के संबंध में कोई आरोप न होने के कारण, धारा 397 लागू नहीं होगी और इस सीमा तक उन्हें धारा 397 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जाना चाहिए था। [कंडिका 12.7] [539-एफ-एच; 540-ए-सी]

श्री फूल कुमार बनाम दिल्ली प्रशासन (1975) 1 एससीसी 797 : [1975] 3 एससीआर 917; दिलावर सिंह बनाम दिल्ली राज्य (2007) 12 एससीसी 641 – अवलंबित।

3.1 अब जहाँ तक अभियुक्तों की ओर से यह प्रस्तुति है कि अपीलकर्ता-अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता तथा धारा 391 के अंतर्गत (जो धारा 395 के अंतर्गत दंडनीय है) मामला स्थापित करने के लिए आवश्यक शर्त, अर्थात् पाँच या अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से लूट किया जाना, सिद्ध नहीं हुआ है और केवल चार व्यक्तियों का ही विचारण हुआ, तथा अधीनस्थ न्यायालयों ने अभियुक्तों को धारा 391 सहपठित धारा 395 के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया है, इस संबंध में प्रारम्भ में यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 395 तथा धारा 397 दोनों के अंतर्गत आरोप निर्धारित किए गए थे। उक्त आरोपों के साथ ही पक्षकारों का विचारण हुआ। अतः एक बार जब धारा 391 के अंतर्गत (धारा 395 के अंतर्गत दंडनीय) मामला सिद्ध हो जाता है, तब अभियुक्तों को धारा 391 सहपठित धारा 395 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि इससे अभियुक्तों को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। अन्यथा भी, जब किसी गंभीर अपराध का आरोप सिद्ध नहीं होता है, तो उस स्थिति में, उस छोटे (कम गंभीर) अपराध के लिए आरोप निर्धारित न होने पर भी, अभियुक्त को उस छोटे

अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है। यदि किसी अभियुक्त पर गंभीर अपराध का आरोप लगाया गया हो, किन्तु वह आरोप गुण-दोष के आधार पर या किसी तकनीकी कारण से सिद्ध न हो सके, तो उसे बिना आरोप में परिवर्तन किए, कम गंभीर अपराध के लिए दोषसिद्ध कर दंडित किया जा सकता है। [कंडिका 14] [540-डी-एच]

रमेशभाई मोहनभाई कोली बनाम गुजरात राज्य (2011) 11 एससीसी 111 :
[2010] 14 एससीआर 1 – अवलंबित।

3.2 अन्यथा भी, जहाँ तक दंड/सजा का प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 391/395 और धारा 397 के बीच कोई विशेष अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि धारा 397 के अंतर्गत दंड सात वर्ष से कम नहीं हो सकता। अन्यथा 'लूट' और 'डकैती' दोनों अनिवार्य तत्व हैं। 'डकैती' मूलतः 'लूट' का ही विस्तारित रूप है, जिसमें अंतर केवल अभियुक्तों की संख्या का होता है। अतः, यदि किसी मामले में अभियुक्त को धारा 397 के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जाता है, तब भी उसे धारा 395 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है और इससे उसे कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा, क्योंकि अंततः अभियोजन को 'लूट' तथा 'डकैती' दोनों को सिद्ध करना होता है, चाहे अपराध धारा 395 के अंतर्गत दंडनीय हो या धारा 397 के अंतर्गत। हालाँकि, किसी अभियुक्त के विरुद्ध धारा 397 लागू करने के लिए अभियोजन को एक अतिरिक्त तथ्य सिद्ध करना आवश्यक है, अर्थात् अपराधी द्वारा किसी घातक हथियार का प्रयोग किया गया हो या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाई गई हो, या मृत्यु अथवा गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास किया गया हो। अतः यह मामला धारा 391 सहपठित धारा 395 के अंतर्गत स्थापित होता है। यद्यपि अधीनस्थ न्यायालयों ने अभियुक्तों को धारा 397 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया, जो कि अस्थिर पाया गया है, फिर भी यदि मामला धारा 391 सहपठित धारा 395 के अंतर्गत सिद्ध होता है, तो उन्हें बिना आरोप में परिवर्तन किए भी धारा 391 सहपठित धारा 395 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 395 एवं धारा 397 दोनों के अंतर्गत आरोप

निर्धारित किए थे। [कंडिका 15] [541-जी-एच; 542-ए-डी]

3.3 अब जहाँ तक अपीलकर्ताओं-अभियुक्तों की ओर से यह प्रस्तुति है कि धारा 391 के अंतर्गत भी कोई मामला सिद्ध नहीं होता तथा उन्हें धारा 395 के अंतर्गत दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए पाँच या अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से लूट किए जाने का प्रमाण आवश्यक है और वर्तमान मामले में केवल चार व्यक्तियों का विचारण हुआ है तथा अभियोजन पाँच या अधिक व्यक्तियों की संलिप्तता सिद्ध करने में विफल रहा है—इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्राथमिकी में डकैती में पाँच व्यक्तियों के सम्मिलित होने का उल्लेख था। आरोपपत्र भी पाँच व्यक्तियों के विरुद्ध दायर किया गया था। हालाँकि, दो अभियुक्तों के फरार हो जाने के कारण विचारण पृथक कर दिया गया और तीन अभियुक्तों का विचारण हुआ। अभियुक्त 'ब' का बाद में विचारण किया गया तथा एक अभियुक्त अभी भी फरार है। इसके अतिरिक्त, अधीनस्थ सभी न्यायालयों द्वारा यह समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि लूट के अपराध में पाँच व्यक्ति सम्मिलित थे। केवल इस आधार पर कि कुछ अभियुक्त फरार हो गए और विचारण में पाँच से कम व्यक्तियों का परीक्षण हुआ, यह नहीं कहा जा सकता कि धारा 391 सहपठित धारा 395 के अंतर्गत अपराध सिद्ध नहीं होता। विचारणीय तथ्य यह है कि पाँच या अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से लूट का अपराध किया गया या उसका प्रयास किया गया, न कि यह कि पाँच या अधिक व्यक्तियों का विचारण हुआ या नहीं। एक बार साक्ष्य के आधार पर यह सिद्ध हो जाए कि पाँच या अधिक व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से लूट की या उसका प्रयास किया, तो मामला धारा 391 के अंतर्गत आएगा और 'डकैती' की परिभाषा में सम्मिलित होगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्तों को धारा 391 सहपठित धारा 395 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है। [कंडिका 16] [542-डी-एच; 543-ए]

3.4 अब जहाँ तक अभियुक्तों की ओर से यह प्रस्तुति है कि पश्चातवर्ती विचारण में एक अभियुक्त - 'ब' दोषमुक्त कर दिया गया है, अतः 'ब' की दोषमुक्ति का लाभ

वर्तमान अभियुक्तों को भी दिया जाना चाहिए और उन्हें भी दोषमुक्त किया जाना चाहिए—इस संबंध में यह तर्क निराधार है। अभियुक्तों का विचारण तथा दोषसिद्धि उस साक्ष्य के आधार पर की जानी चाहिए जो उस विचारण में प्रस्तुत किया गया है जिसमें उन्हें दोषसिद्ध किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि 'ब' का विचारण 15 वर्षों के पश्चात हुआ, क्योंकि उसके फरार हो जाने के कारण उसका विचारण पृथक कर दिया गया था। 'ब' के मामले में पारित दोषमुक्ति के निर्णय से यह प्रतीत होता है कि उस विचारण में अभियोजन साक्षी-1 पक्षद्रोह हो गया था। 'ब' के मामले में केवल पाँच साक्षियों का परीक्षण किया गया और अन्य साक्षियों का परीक्षण किन्हीं कारणों से नहीं किया गया। वर्तमान मामले में, अभियोजन साक्षी-1 ने न केवल अभियोजन के मामले का समर्थन किया, बल्कि कुल 15 साक्षियों का परीक्षण भी किया गया। अतः केवल इस कारण कि पश्चातवर्ती पृथक विचारण में 'ब' को दोषमुक्त कर दिया गया, उस दोषमुक्ति का लाभ वर्तमान अपीलकर्ता-अभियुक्तों को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अभियोजन उनके विरुद्ध अपना मामला सिद्ध करने में सफल रहा है। [कंडिका 17] [543-बी-ई]

अमृता बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2004) 12 एससीसी 224;

गंगाधर बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य (2002) 8 एससीसी 381 :

[2002] 3 अनुपूरक एससीआर 183; राजा बनाम राज्य (2013)

12 एससीसी 674 : [2013] 9 एससीआर 230 – अवलंबित।

राज कुमार उर्फ राजू बनाम उत्तरांचल राज्य (2008) 11

एससीसी 397; बलबीर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2020 एससीसी

ऑनलाइन इलाहाबाद 845; मोहन सिंह बनाम पंजाब राज्य

एआईआर 1963 एससी 174 : [1962] अनुपूरक एससीआर

848; राम बिलास सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य [1964] 1

एससीआर 775; *मनमीत सिंह उर्फ गोल्डी बनाम पंजाब राज्य*
 (2015) 7 एससीसी 167 : [2015] 3 एससीआर 773;
हरभजन सिंह बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य (1975) 4
 एससीसी 480; *सत्य नारायण बनाम राज्य, पुलिस निरीक्षक*
द्वारा प्रतिनिधित्व (2012) 12 एससीसी 627 : [2012] 10
 एससीआर 950; *राजू मांझी बनाम बिहार राज्य* (2019) 12
 एससीसी 784; *रफीक अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* (2011)
 8 एससीसी 300 : [2011] 11 एससीआर 907; *प्रेमा एस. राव*
बनाम यादला श्रीनिवास राव (2003) 1 एससीसी 217 :
 [2002] 3 अनुपूरक एससीआर 339 – संदर्भित।

नज़ीर संदर्भ

[1975] 3 एससीआर 917	अवलंबित	कंडिका 6.1
(2007) 12 एससीसी 641	अवलंबित	कंडिका 6.1
(2008) 11 एससीसी 397	संदर्भित	कंडिका 6.5
[1962] अनुपूरक एससीआर 848	संदर्भित	कंडिका 7
[1964] 1 एससीआर 775	संदर्भित	कंडिका 7.1
[2015] 3 एससीआर 773	संदर्भित	कंडिका 7.1
(1975) 4 एससीसी 480	संदर्भित	कंडिका 8.5
[2012] 10 एससीआर 950	संदर्भित	कंडिका 8.9
(2019) 12 एससीसी 784	संदर्भित	कंडिका 8.9
[2011] 11 एससीआर 907	संदर्भित	कंडिका 8.10
[2002] 3 अनुपूरक एससीआर 339	संदर्भित	कंडिका 8.10

[2010] 14 एससीआर 1	अवलंबित	कंडिका 14
(2004) 12 एससीसी 224	अवलंबित	कंडिका 17
[2002] 3 अनुपूरक एससीआर 183	अवलंबित	कंडिका 17
[2013] 9 एससीआर 230	अवलंबित	कंडिका 17

दांडिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2021 की दांडिक अपील संख्या 903।

यह अपील, मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में दिनांक 16.07.2019 के निर्णय एवं आदेश, जो दांडिक अपील संख्या 429 वर्ष 2012 में पारित हुआ, से उत्पन्न है।

साथ में

2021 की दांडिक अपील संख्या 904।

जी. शिवबालमुरुगन, पी. आर. कोविलन पूंगकुंन्न, वी. वासुदेवन, श्रीमती गीता कोविलन, अधिवक्ता – अपीलकर्ता की ओर से।

डॉ. जोसेफ एरिस्टोटल एस., सुश्री प्रीति सिंह, सुश्री रिपुल स्वाति कुमारी, अधिवक्ता – उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय **माननीय न्यायमूर्ति श्री एम. आर. शाह** द्वारा प्रदत्त किया गया।

1. विवादित संयुक्त निर्णय एवं आदेश दिनांक 16.07.2019, जो मद्रास स्थित उच्च न्यायालय द्वारा दांडिक पुनरीक्षण वाद संख्या 405 एवं 429 वर्ष 2012 में पारित किया गया, से उत्पन्न असंतोष एवं क्षुब्धता के कारण वर्तमान अपीलें प्रस्तुत की गई हैं। उक्त निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय ने संबंधित पुनरीक्षण याचिकाओं को निरस्त कर दिया तथा विचारण न्यायालय के निर्णय एवं आदेश, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायाधिकरण अर्थात् सत्र न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी, को भी बरकरार रखा, जिसके द्वारा वर्तमान अपीलकर्ता –

मूल अभियुक्त संख्या 1 एवं अभियुक्त संख्या 4 - को भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया था।

2. दांडिक अपील संख्या 903 वर्ष 2021, अभियुक्त गणेशन द्वारा, जो मूल अभियुक्त संख्या-1 था, प्रस्तुत की गई है तथा दांडिक अपील संख्या 904 वर्ष 2021, अभियुक्त शनमुगम उर्फ बाबू - अभियुक्त संख्या-3 द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस चरण पर यह उल्लेखनीय है कि प्रारंभ में आरोपपत्र पाँच व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 395 सहपठित धारा 397 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दायर किया गया था। गणेशन को अभियुक्त संख्या-1 दर्शाया गया था, एक बेनी, जो उस समय फरार था, को अभियुक्त संख्या-2 दर्शाया गया था, एक प्रभाकरन को अभियुक्त संख्या-3, शनमुगम उर्फ बाबू को अभियुक्त संख्या-4 तथा एक शाजहान को अभियुक्त संख्या-5 दर्शाया गया था। हालाँकि, उस समय अभियुक्त संख्या-2 (बेनी) तथा अभियुक्त संख्या-5 (शाजहान) फरार हो गए, जिसके कारण विचारण पृथक कर दिया गया। विचारण के पश्चात गणेशन को अभियुक्त संख्या-1, प्रभाकरन को अभियुक्त संख्या-2 तथा शनमुगम को अभियुक्त संख्या-3 के रूप में दर्शाया गया। बेनी को लगभग 15 वर्ष के पश्चात गिरफ्तार किया गया और उसका पृथक रूप से विचारण किया गया तथा दिनांक 15.11.2018 के निर्णय एवं आदेश द्वारा उसे दोषमुक्त कर दिया गया (बेनी की दोषमुक्ति पर आगे विचार किया जाएगा)।

3. अभियोजन के मामले के अनुसार, अभियुक्त संख्या-1 से अभियुक्त संख्या-5 ने संयुक्त रूप से लूट करने के उद्देश्य से दिनांक 19.08.1996 को लगभग रात्रि 8:00 बजे कडलूर से वाहन संख्या टी.एन. 31 8686 में चाकू एवं लोहे की पाइप लेकर प्रस्थान किया और पनरुति पहुँचे। अभियुक्त संख्या-1 (गणेशन) कार में ही रहा और उसने अभियुक्त संख्या-2 से अभियुक्त संख्या-5 को भेजा। योजना के अनुसार अभियुक्त संख्या-2 से अभियुक्त संख्या-5 ने ₹60,000/- की लूट की। अभियोजन के अनुसार, अभियोजन साक्षी-1 (दुरईसामी) साइकिल से वल्लालर स्ट्रीट, पनरुति के पास आ रहा था, जहाँ अभियुक्तों ने उसे धक्का दिया

तथा अभियुक्त संख्या-3 (प्रभाकरन) ने लोहे की रॉड से उसके सिर एवं दाहिने हाथ की उंगली पर प्रहार कर उसे घायल कर दिया और अभियुक्त संख्या-2 से अभियुक्त संख्या-5 में से एक ने दुरईसामी की साइकिल के हैंडल पर टंगा बैग छीन लिया, जिसमें ₹60,000/- तथा 16 ग्राम आभूषण थे, और भाग गया। अभियोजन के अनुसार, जब साक्षी पालनिवेल ने अभियुक्त संख्या-2 से अभियुक्त संख्या-5 को भागने से रोकने का प्रयास किया, तो अभियुक्त संख्या-2 (बेनी) ने अपने पास रखी रॉड से साक्षी पालनिवेल के सिर एवं हाथ पर प्रहार किया और भागने का प्रयास किया, जबकि अभियुक्त संख्या-3, 4 एवं 5 उक्त बैग के साथ वहाँ से भाग गए। जाँच की समाप्ति के उपरांत, अनुसंधान अधिकारी ने पाँच अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 395 सहपठित धारा 397 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपपत्र दायर किया। आरोप भी पाँचों अभियुक्तों के विरुद्ध निर्धारित किए गए। हालाँकि, अभियुक्त संख्या-2 (बेनी) तथा अभियुक्त संख्या-5 (शाजहान) के फरार हो जाने के कारण विचारण पृथक कर दिया गया और विचारण गणेशन, प्रभाकरन तथा शनमुगम के विरुद्ध आगे बढ़ाया गया। इस विचारण में गणेशन को अभियुक्त संख्या-1, प्रभाकरन को अभियुक्त संख्या-3 तथा शनमुगम को अभियुक्त संख्या-4 के रूप में दर्शाया गया। यह भी सूचित है कि शाजहान अब भी फरार है। अभियुक्तों ने आरोपों से इनकार किया, अतः उन्हें माननीय दंडाधिकारी द्वारा विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन ने अपने मामले को सिद्ध करने के लिए कुल 15 साक्षियों का परीक्षण किया। अभियोजन ने श्री दुरईसामी को अभियोजन साक्षी-1 (परिवादी एवं घायल प्रत्यक्षदर्शी), श्री पालनिवेल को अभियोजन साक्षी-2, श्री अरविंद कुमार एवं श्री अशोक कुमार को क्रमशः अभियोजन साक्षी-3 एवं अभियोजन साक्षी-4 के रूप में प्रस्तुत किया। अभियोजन ने श्री शनमुगम को अभियोजन साक्षी-5 तथा चिकित्सक श्री इलंगोवन को अभियोजन साक्षी-10 के रूप में प्रस्तुत किया, जिन्होंने अभियोजन साक्षी-1 का उपचार किया। अभियोजन ने अनुसंधान अधिकारी श्री सुब्रमणियन को अभियोजन साक्षी-13 के रूप में भी प्रस्तुत किया। उक्त साक्षियों के माध्यम से अभियोजन ने

अभिलेख पर दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। अभिलेख पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के मूल्यांकन के उपरांत, माननीय विचारण न्यायालय ने दिनांक 13.04.2010 को सत्र वाद संख्या 363 वर्ष 2009 में पारित निर्णय एवं आदेश द्वारा अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 7 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया तथा अर्थदंड के अभाव में एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा निर्धारित की।

4. विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं आदेश, जिसके द्वारा अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर 7 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया, से असंतुष्ट एवं क्षुब्ध होकर अभियुक्त गणेशन तथा शनमुगम - क्रमशः अभियुक्त संख्या-1 एवं अभियुक्त संख्या-3 ने सत्र न्यायालय के समक्ष दांडिक अपील संख्या 48 वर्ष 2010 दायर की। उक्त अपील को माननीय सत्र न्यायालय ने दिनांक 03.01.2012 के निर्णय एवं आदेश द्वारा निरस्त कर दिया तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं आदेश की पुष्टि कर दी। इसके पश्चात उच्च न्यायालय ने भी विवादित निर्णय एवं आदेश द्वारा धारा 397 के अंतर्गत दोषसिद्धि की पुष्टि कर दी।

5. उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण याचिकाओं को निरस्त करते हुए तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के अंतर्गत दोषसिद्धि की पुष्टि करने वाले निर्णय एवं आदेश से असंतुष्ट एवं क्षुब्ध होकर, अभियुक्त संख्या-1 गणेशन ने दांडिक अपील संख्या 903 वर्ष 2021 तथा अभियुक्त संख्या-3 शनमुगम ने दांडिक अपील संख्या 904 वर्ष 2021 प्रस्तुत की है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, घटना के लगभग 15 वर्ष पश्चात मूल अभियुक्त संख्या-2 बेनी को गिरफ्तार किया गया और उसका पृथक रूप से विचारण किया गया। सत्र वाद संख्या 12 वर्ष 2018 में दिनांक 15.11.2018 के निर्णय एवं आदेश द्वारा उसे दोषमुक्त कर दिया गया। अभियुक्त बेनी की दोषमुक्ति पर निम्नलिखित में विचार एवं परीक्षण किया जाएगा।

6. दांडिक अपील संख्या 903 वर्ष 2021 में अभियुक्त - गणेशन की ओर से

प्रस्तुत निवेदन

अभियुक्त गणेशन की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित तर्क रखीं:

- (1) यह प्रस्तुत किया गया कि प्राथमिकी संदेह से घिरी हुई है। यह तर्क दिया गया कि अभियोजन साक्षी-1 दुरईसामी ने अपने बयान में कहा कि घटना दिनांक 19.08.1996 को लगभग रात्रि 11:00 बजे हुई तथा अभियुक्तों द्वारा उस पर हमला किया गया, जिसके तुरंत बाद वह बेहोश हो गया और उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसे एक सप्ताह बाद होश आया। इसके विपरीत, अभियोजन साक्षी-13 - अन्वेषण अधिकारी ने अपने बयान में कहा कि वह दिनांक 20.08.1996 को प्रातः 2:30 बजे सरकारी अस्पताल पहुँचे और वहाँ उन्होंने अ.सा.-1 दुरईसामी का बयान दर्ज किया तथा 3:00 बजे थाना पहुँचकर उक्त बयान के आधार पर धारा 394 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध संख्या 678 वर्ष 1996 दर्ज किया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अ.सा.-13 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि शिकायत प्रदर्श-1 पर न तो शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर हैं और न ही अंगूठे का निशान अंकित है। अतः यह तर्क दिया गया कि प्रदर्श-1 शिकायत, जैसा कि अभियोजन द्वारा दावा किया गया है, अस्तित्व में ही नहीं आ सकती थी और परिणामस्वरूप अन्वेषण अधिकारी द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी विधिक रूप से ग्राह्य नहीं है।
- (2) यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तों की पहचान स्थापित नहीं की गई है, क्योंकि कोई पहचान परेड आयोजित नहीं की गई। यह तर्क दिया गया कि वर्तमान प्रकरण में पुलिस द्वारा कोई पहचान परेड नहीं कराई गई। यह भी कहा गया कि विचारण न्यायालय के समक्ष भी अभियोजन साक्षियों ने स्पष्ट

रूप से कहा कि वे अभियुक्तों की पहचान करने में असमर्थ हैं, जिसके कारण निम्नलिखित हैं— (i) अभियोजन साक्षी-1 घटना के बाद बेहोश हो गया था; (ii) अभियोजन साक्षी-2 ने बयान दिया— “क्या मैं अभियुक्तों को जानता था, मुझे याद नहीं क्योंकि काफी समय बीत चुका है”; (iii) अभियोजन साक्षी-3 ने कहा— “चौदह वर्ष बीत जाने के कारण मुझे स्मरण नहीं है कि न्यायालय के समक्ष उपस्थित व्यक्तियों में वह कौन था”; साथ ही उसने यह भी कहा कि “घटना के समय घटनास्थल अंधेरा था और वर्षा हो रही थी”; (iv) अभियोजन साक्षी-4 ने भी बयान दिया कि “चौदह वर्ष बीत जाने के कारण वे सही-सही नहीं बता सकते।” अतः यह तर्क दिया गया कि अभियुक्तों की पहचान संदेहास्पद है और विधि के अनुरूप सिद्ध नहीं हुई है।

6.1 यह प्रस्तुत किया गया कि दुर्घटना पंजिका में भी अभियोजन साक्षी-10 – चिकित्सक ने यह अंकित किया कि उन्हें सूचना दी गई थी कि शिकायतकर्ता पर तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया था। अतः यह तर्क दिया गया कि इससे घटना में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या (तीन या पाँच) को लेकर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त संख्या-1 गणेशन ने अपराध में भाग नहीं लिया, क्योंकि वह कार में ही था, अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 397 उसके विरुद्ध लागू नहीं होती। यह कहा गया कि अभियोजन के कथन के अनुसार भी गणेशन कार में ही था और घटनास्थल पर नहीं आया, इसलिए उसे धारा 397 के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। यह भी तर्क दिया गया कि यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि ‘अपराधी’ शब्द केवल उसी व्यक्ति तक सीमित है जो किसी घातक हथियार का उपयोग करता है। अतः डकैती के समय किसी एक अपराधी द्वारा घातक हथियार के उपयोग के आधार पर उस अन्य अपराधी पर, जिसने कोई घातक हथियार उपयोग नहीं किया, धारा 397 के अंतर्गत न्यूनतम दंड नहीं लगाया जा सकता। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय— श्री फूल कुमार

बनाम दिल्ली प्रशासन (1975) 1 एससीसी 797 (कंडिका 5 एवं 6) तथा दिलावर सिंह बनाम दिल्ली राज्य (2007) 12 एससीसी 641 (कंडिका 19 से 22)— पर अवलंबित किया गया। अग्रिम रूप से यह भी प्रस्तुत किया गया कि मूल अभियुक्त संख्या-2 बेनी को न्यायालय द्वारा दिनांक 15.11.2018 के निर्णय से दोषमुक्त कर दिया गया है। यह तर्क दिया गया कि स्थापित विधि के अनुसार यदि अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए आरोप समान, अविभाज्य एवं अविच्छेद्य हों, तो सह-अभियुक्त की दोषमुक्ति का लाभ अन्य अभियुक्तों को भी दिया जाना चाहिए। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन के अनुसार अभियुक्त संख्या-1 से अभियुक्त संख्या-5 तक सभी इस घटना में सम्मिलित थे, किन्तु अभियोजन साक्षी यह पहचान करने में असफल रहे कि अभियोजन साक्षी-1 तथा अभियोजन साक्षी-2 को किसने मारा।

6.2 यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अन्यथा भी अभियोजन साक्षी-1 तथा अभियोजन साक्षी-2 को लगी चोटें साधारण प्रकृति की हैं। यह कहा गया कि चिकित्सकीय अभिलेखों के अनुसार दोनों को लगी चोटें साधारण हैं, जो कि अभियोजन साक्षी-10 - चिकित्सक डॉ. आर. एलंगोवन की गवाही से स्पष्ट होता है। यह भी तर्क दिया गया कि वर्तमान प्रकरण में किसी 'घातक हथियार' की बरामदगी की कोई संभावना नहीं है, अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 397 को लागू नहीं किया जा सकता।

6.3 यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन के अनुसार इस प्रकरण में कुल पाँच अभियुक्त सम्मिलित थे। किन्तु यह तर्क दिया गया कि सभी अभियोजन साक्षियों ने अपने बयान में कहा कि घटना में तीन से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं थे। यह प्रस्तुत किया गया कि केवल उसी स्थिति में, जब पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति मिलकर डकैती करते हैं या उसका प्रयास करते हैं, तब वह 'डकैती' कहलाती है। यह भी कहा गया कि डकैती, लूट का एक अधिक गंभीर रूप है और सामान्यतः इसमें अपराधी घातक हथियारों से लैस होते हैं। यह तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में स्वयं अभियोजन भी इस बात को लेकर निश्चित नहीं है कि कितने अभियुक्त इस घटना में शामिल थे। इसी कारण, यद्यपि

आरोप-पत्र धारा 395 एवं 397 भा.दं.सं. के अंतर्गत दायर किया गया था, तथापि विचारण न्यायालय ने केवल धारा 397 के अंतर्गत ही आरोप निर्धारित किया।

6.4 यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन साक्षी-2 से अभियोजन साक्षी-4 तक विश्वसनीय एवं भरोसेमंद प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं। यह तर्क दिया गया कि घर और घटनास्थल के बीच की दूरी को देखते हुए अभियोजन साक्षी-1 की चिल्लाहट सुन पाना संभव नहीं था, तथा ये साक्षी घटनास्थल पर तब पहुँचे जब अभियुक्तों द्वारा लूट की घटना पहले ही घटित की जा चुकी थी।

6.5 यह भी प्रस्तुत किया गया कि आरोप-पत्र दाखिल करने तथा विचारण संचालित करने में अत्यधिक विलंब हुआ है। यह तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में आरोप-पत्र 13 वर्ष पश्चात दायर किया गया, और इस विलंब का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। यह आगे कहा गया कि घटना में सम्मिलित अभियुक्तों की संख्या पाँच से कम थी तथा अभियुक्त बेनी को भी विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है, अतः वर्तमान अभियुक्तों को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय— **राज कुमार उर्फ राजू बनाम उत्तरांचल राज्य, (2008) 11 एससीसी 397 और बलबीर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2020 एससीसी ऑनलाइन सभी 845—** पर अवलंबित किया गया। अंततः यह प्रस्तुत किया गया कि मामले की समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त संदेह का लाभ पाने के अधिकारी हैं।

उपरोक्त निवेदनों के आधार पर यह प्रार्थना की गई कि अभियुक्त गणेशन द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाए तथा उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के अंतर्गत, जिसके लिए उसे दोषसिद्ध किया गया है, दोषमुक्त किया जाए।

7. दांडिक अपील संख्या 904 वर्ष 2021 में अभियुक्त शनमुगम उर्फ बाबू की ओर से प्रस्तुत निवेदन

अभियुक्त गणेशन की ओर से प्रस्तुत तर्कों के अतिरिक्त, अभियुक्त शनमुगम उर्फ बाबू की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में लूट के संबंध में कोई ठोस आरोप या दोषसिद्धि नहीं है। यह तर्क दिया गया कि किसी अभियुक्त की दोषसिद्धि केवल ठोस आरोप के आधार पर ही की जा सकती है, अन्यथा नहीं, विशेषकर जब उसके समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध न हो। यह भी कहा गया कि वर्तमान मामले में मूल आरोप केवल धारा 395 (डकैती) भा.दं.सं. के अंतर्गत है। अतिरिक्त रूप से यह प्रस्तुत किया गया कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि अभियुक्त शनमुगम ने कोई वार किया हो अथवा किसी घातक हथियार का उपयोग किया हो अथवा किसी को गंभीर चोट पहुँचाई हो। अतः अभियुक्त को धारा 397 भा.दं.सं. के अंतर्गत केवल सह-अपराधिता के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **मोहन सिंह बनाम पंजाब राज्य**, एआईआर 1963 एससी 174 पर अवलंबित किया गया।

7.1 यह भी प्रस्तुत किया गया कि यदि लूट से संबंधित धारा 390/392 भा.दं.सं. को धारा 378 (चोरी) अथवा धारा 383 (उगाही) के साथ पढ़ते हुए कोई आरोप न तो आरोप-पत्र में लगाया गया है और न ही आरोप निर्धारण के रूप में स्थापित किया गया है, तो अभियुक्त को इन अपराधों के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। यह भी तर्क दिया गया कि 'डकैती' वस्तुतः 'लूट' का ही एक उग्र रूप है, जिसमें केवल अभियुक्तों की संख्या (पाँच या अधिक) का अंतर होता है, और यह तत्व (पाँच या अधिक व्यक्तियों की सहभागिता) डकैती सिद्ध करने के लिए अनिवार्य है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय— **राम बिलास सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य** (1964) 1 एससीआर 775; **राज कुमार उर्फ राजू (उपर्युक्त) तथा मनमीत सिंह उर्फ गोल्डी बनाम पंजाब राज्य** (2015) 7 एससीसी167— पर अवलंबित किया गया। अतिरिक्त रूप से यह प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त शनमुगम को दोषसिद्ध करने के लिए सह-अभियुक्त के कथित स्वीकारोक्ति पर निर्भर

किया गया है, जो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है। यह कहा गया कि अभियुक्त संख्या-1 (अभि. सं.-1) गणेशन तथा अभियुक्त संख्या-2 (अभि. सं.-2) बेनी के पुलिस अधिकारी के समक्ष दिए गए स्वीकारोक्ति कथन साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं हैं। यह भी तर्क दिया गया कि अभियुक्त शनमुगम के विरुद्ध उक्त कथित स्वीकारोक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त निवेदनों के आधार पर यह प्रार्थना की गई कि वर्तमान अपील को स्वीकार किया जाए तथा अभियुक्त शनमुगम को भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के अंतर्गत, जिसके लिए उसे दोषसिद्ध किया गया है, दोषमुक्त किया जाए।

8. तमिलनाडु राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता डॉ. जोसेफ अरिस्टोटल एस. ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया कि मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अभियुक्त गणेशन – अभि. सं.-1 तथा शनमुगम उर्फ बाबू – अभि. सं.-3 को दोषसिद्ध करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

8.1 यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान प्रकरण में अपराध के समय अभियुक्तों की उपस्थिति अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्यों के माध्यम से स्थापित एवं सिद्ध कर दी गई है।

8.2 यह प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों, अर्थात् विचारण न्यायालय, प्रथम अपीलीय न्यायालय तथा तत्पश्चात् उच्च न्यायालय द्वारा समान निष्कर्ष अभिलिखित किए गए हैं, अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा अपनी पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए पारित आदेश में अनुच्छेद 136 के अंतर्गत किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8.3 यह भी प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालय, प्रथम अपीलीय न्यायालय तथा पुनरीक्षण न्यायालय ने क्रमशः अभियोजन साक्षी-1 (शिकायतकर्ता), अभियोजन साक्षी-2 (घायल साक्षी), अभियोजन साक्षी-10 (चिकित्सक, जिन्होंने अ.सा.-1 एवं

अ.सा.-2 का उपचार किया) तथा अभियोजन साक्षी-13 (अवर निरीक्षक, जिन्होंने प्राथमिकी दर्ज की) के साक्ष्यों का समुचित एवं सही मूल्यांकन किया है।

8.4 यह प्रस्तुत किया गया कि घायल प्रत्यक्षदर्शी अभियोजन साक्षी-1 एवं अभियोजन साक्षी-2 को अभियोजन साक्षी-3 (प्रत्यक्षदर्शी) द्वारा दिनांक 19.08.1996 को रात्रि लगभग 11:55 बजे अस्पताल पहुँचाया गया। अभियोजन साक्षी-10 ने अ.सा.-1 एवं अ.सा.-2 का उपचार किया तथा दुर्घटना रजिस्टर में प्रविष्टियाँ कीं। यह भी कहा गया कि सरकारी अस्पताल से सूचना प्राप्त होने पर अभियोजन साक्षी-13 अस्पताल पहुँचे और प्रातः 2:30 बजे अ.सा.-1 का बयान दर्ज किया तथा 3:00 बजे थाना जाकर प्राथमिकी दर्ज की, जिसे प्रदर्श-1 के रूप में अंकित किया गया। यह प्रस्तुत किया गया कि अ.सा.-1 के दोनों हाथों की उंगलियों में गंभीर चोटें थीं, जो चिकित्सकीय साक्ष्य से पुष्ट होती हैं, इसलिए वह शिकायत पर केवल अंगूठे का निशान ही लगा सका। यह भी तर्क दिया गया कि अ.सा.-1 के इस कथन में कि वह चोट लगने के तुरंत बाद बेहोश हो गया था, यदि कोई विसंगति प्रतीत होती है तो उसे उसके विरुद्ध नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह कथन घटना के लगभग 14 वर्ष बाद दिया गया था। यह कहा गया कि अ.सा.-1 के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि वह अ.सा.-13 को शिकायत देने के बाद ही बेहोश हुआ था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालय तथा अपीलिय न्यायालय द्वारा सही रूप से यह पाया गया कि अ.सा.-10 एवं अ.सा.-13 के साक्ष्य एक-दूसरे के अनुरूप हैं तथा अभियोजन साक्षियों के कथनों की पुष्टि करते हैं। अतः यह तर्क दिया गया कि इस मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य एवं चिकित्सकीय साक्ष्य परस्पर संगत एवं पुष्टिकारक हैं और इनमें किसी प्रकार के प्रतिकूल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8.5 यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में पहचान परेड का आयोजन न किया जाना अभियोजन के लिए घातक नहीं है, क्योंकि अभियुक्तों के दोष की ओर संकेत करने वाले अन्य प्रबल साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिनमें घायल अभियोजन साक्षी-1 एवं अभियोजन

साक्षी-2 के प्रत्यक्ष कथन भी सम्मिलित हैं। यह तर्क दिया गया कि यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि पहचान परेड कोई ठोस साक्ष्य नहीं है और उस पर केवल तभी निर्भर किया जाता है जब मुख्य साक्ष्य अपुष्ट हो। पहचान परीक्षण का मुख्य उद्देश्य अन्वेषण एजेंसी को यह आश्वस्त करना होता है कि अपराध की जाँच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अन्वेषण एजेंसी को अनिवार्य रूप से पहचान परेड कराने के लिए बाध्य करे या अभियुक्त को यह अधिकार प्रदान करे कि वह पहचान परेड की मांग कर सके। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय *हरभजन सिंह बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य* (1975) 4 एससीसी 480 पर अवलंबित किया गया।

8.6 यह भी प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में अभियोजन ने पाँच अभियुक्तों की उपस्थिति स्पष्ट रूप से स्थापित कर दी है। यह कहा गया कि आरोप-पत्र भी पाँच अभियुक्तों के विरुद्ध दायर किया गया था, किन्तु दो अभियुक्त फरार हो जाने के कारण विचारण केवल तीन अभियुक्तों के विरुद्ध आगे बढ़ा। यह भी तर्क दिया गया कि अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं जो पाँच अभियुक्तों की संलिप्तता को दर्शाते हैं, अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 395 लागू होगी।

8.7 यह भी प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में अभियोजन ने अभियुक्त संख्या-1 गणेशन की उपस्थिति को अभियोजन साक्षी-6, अभियोजन साक्षी-11 तथा अभियोजन साक्षी-14 के साक्ष्यों के माध्यम से स्थापित किया है। यह भी कहा गया कि प्रदर्श-10 के अनुसार अभियुक्त संख्या-1 (गणेशन) को दिनांक 21.08.1996 को गिरफ्तार किया गया था।

8.8 यह भी प्रस्तुत किया गया कि अपराध के आयोग में सम्मिलित पाँच व्यक्तियों की उपस्थिति अभियोजन द्वारा स्थापित एवं सिद्ध कर दी गई है, अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 395 लागू होगी।

8.9 यह प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि अभियोजन साक्षी-11 पक्षद्रोही हो गया, तथापि विधि का स्थापित सिद्धांत है कि पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य पर उस सीमा तक विश्वास किया जा सकता है जहाँ तक वह अभियोजन के मामले का समर्थन करता है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **सत्य नारायणन बनाम राज्य (पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व)** (2012) 12 एससीसी 627 पर अवलंबित किया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त संख्या-2 के अन्वेषण अधिकारी के समक्ष दिए गए स्वीकारोक्ति कथन में संयुक्त रूप से किए गए हमले तथा आभूषण एवं नकदी की चोरी के संबंध में यह बताया गया कि वह स्वयं, गणेशन, शाजहान, शनमुगम तथा एक अन्य व्यक्ति इसमें सम्मिलित थे। यह तर्क दिया गया कि उक्त स्वीकारोक्ति तथा उससे प्राप्त जानकारी के आधार पर लोहे की छड़ की बरामदगी की गई तथा अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई। इस संबंध में यह प्रस्तुत किया गया कि कुछ परिस्थितियों में स्वीकारोक्ति कथन पर भरोसा किया जा सकता है, और इस हेतु सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **राजू मांझी बनाम बिहार राज्य** (2019) 12 एससीसी 784 पर अवलंबित किया गया।

8.10 यह प्रस्तुत किया गया कि साक्षियों ने न्यायालय में कुछ अभियुक्तों की पहचान की है तथा अन्य कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी स्वीकारोक्ति कथनों से प्राप्त सूचना के आधार पर की गई है। यह भी तर्क दिया गया कि यदि सभी अभियुक्तों की पहचान साक्षियों द्वारा नहीं की गई हो, तो भी विशेष रूप से लूट एवं डकैती जैसे मामलों में इससे अभियोजन का मामला विफल नहीं होता। अतिरिक्त रूप से यह प्रस्तुत किया गया कि विधि का स्थापित सिद्धांत है कि किसी गंभीर अथवा जघन्य अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति को उसी प्रकार के कम गंभीर (समान प्रकृति के) अपराध के लिए भी दंडित किया जा सकता है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **रफीक अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** (2011) 8 एससीसी 300 तथा **के. प्रेमा एस. राव बनाम यदला श्रीनिवास राव** (2003) 1 एससीसी 217 पर अवलंबित किया गया।

यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर धारा 395 सहपठित धारा 397 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप विधिवत रूप से निर्धारित किए गए थे तथा इन अपराधों के आवश्यक अवयवों को अभियोजन द्वारा संदेह से परे सिद्ध कर दिया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि अन्यथा, वैकल्पिक रूप से भी अभियुक्तों की धारा 397 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्धि को कायम रखा जा सकता है।

9. उपरोक्त निवेदनों के आधार पर यह प्रार्थना की गई कि वर्तमान अपीलों को निरस्त किया जाए।

10. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना गया।

11. वर्तमान अपीलें मूल अभियुक्त संख्या-1 गणेशन तथा अभियुक्त संख्या-3 शनमुगम उर्फ बाबू द्वारा दायर की गई हैं, जिनमें भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के अंतर्गत उनकी दोषसिद्धि को चुनौती दी गई है। प्रारंभ में यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय, सत्र न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तों की अपराध के समय उपस्थिति एवं उनकी सक्रिय संलिप्तता के संबंध में समान निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं। अपराध के समय उनकी उपस्थिति को अभियोजन द्वारा विचारण के दौरान प्रासंगिक साक्षियों का परीक्षण कर स्थापित एवं सिद्ध किया गया है।

11.1 अभियोजन साक्षी-1 दुरईसामी, अभियोजन साक्षी-2 पलानीवेल तथा अभियोजन साक्षी-3 अरविंद कुमार तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, जिनमें से अ.सा.-1 एवं अ.सा.-2 घायल प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं। हमने प्रासंगिक साक्षियों, विशेषकर अ.सा.-1, अ.सा.-2 एवं अ.सा.-3 के बयान, तथा अभियोजन साक्षी-11 (जो पक्षद्रोही हो गया) के साक्ष्य और चिकित्सकीय साक्ष्य का विस्तार से अवलोकन किया है। साथ ही न्यायालय में कुछ अभियुक्तों की पहचान को भी देखा है। हमारे मत में अभियोजन द्वारा अभियुक्तों की उपस्थिति एवं उनकी सहभागिता स्थापित एवं सिद्ध कर दी गई है। यद्यपि कुछ विरोधाभास पाए जाते हैं,

तथापि समस्त साक्ष्यों के समग्र अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि ये विरोधाभास इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं कि वे अभियोजन के संपूर्ण मामले को प्रभावित करें। यह भी ध्यान देने योग्य है कि साक्षियों का परीक्षण लगभग 14 वर्ष के उपरांत किया गया, अतः कुछ विरोधाभास स्वाभाविक हैं। विधि का स्थापित सिद्धांत है कि केवल वही विरोधाभास, जो महत्वपूर्ण हों, संदेह उत्पन्न करते हैं और ऐसे महत्वपूर्ण विरोधाभासों का लाभ अभियुक्त को दिया जा सकता है।

12. उपरोक्त निष्कर्षों एवं टिप्पणियों के आलोक में अब हम गुण-दोष के आधार पर अन्य निवेदनों पर विचार कर सकते हैं।

12.1 अभियुक्तों की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के अंतर्गत उनकी दोषसिद्धि अस्थिर है। यह भी कहा गया कि धारा 391 भा.दं.सं. (जो धारा 395 के अंतर्गत दंडनीय है) के अपराध हेतु लूट के अपराध में पाँच या अधिक व्यक्तियों की सहभागिता का होना अनिवार्य है। अभियुक्तों की ओर से यह भी कहा गया कि वर्तमान मामले में केवल तीन अभियुक्तों का विचारण हुआ तथा बाद में एक अन्य अभियुक्त बेनी का पृथक विचारण हुआ, अतः धारा 391 भा.दं.सं. (डकैती) लागू करने के लिए आवश्यक पूर्व शर्त पूरी नहीं हुई, क्योंकि पाँच या अधिक व्यक्तियों की संलिप्तता स्थापित एवं सिद्ध नहीं की गई और कुल मिलाकर केवल चार अभियुक्तों का ही विचारण हुआ। यह भी तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने धारा 397 भा.दं.सं. के अंतर्गत अभियुक्तों को दोषसिद्ध करने में गंभीर त्रुटि की है, क्योंकि स्वयं अभियोजन के कथन के अनुसार वर्तमान अपीलार्थी अभियुक्त संख्या-1 एवं 3 ने किसी भी घातक हथियार का उपयोग नहीं किया। इस संबंध में श्री फूल कुमार (उपर्युक्त) तथा दिलावर सिंह (उपर्युक्त) के निर्णयों पर अवलंबित करते हुए यह प्रस्तुत किया गया कि जो अभियुक्त डकैती के समय किसी घातक हथियार का उपयोग नहीं करता, उसे धारा 397 भा.दं.सं. के अंतर्गत न्यूनतम दंड हेतु दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि 'अपराधी' शब्द केवल उसी व्यक्ति तक सीमित है जो घातक हथियार का उपयोग

करता है। अतिरिक्त रूप से यह भी कहा गया कि एक अन्य अभियुक्त बेनी को बाद में दोषमुक्त कर दिया गया, अतः उसकी दोषमुक्ति का लाभ वर्तमान अपीलार्थी अभियुक्तों को भी दिया जाना चाहिए।

12.2 उपर्युक्त निवेदनों का समुचित आकलन करने हेतु 'लूट' एवं 'डकैती' से संबंधित प्रासंगिक विधिक प्रावधानों का उल्लेख आवश्यक है। इस संदर्भ में भारतीय दंड संहिता की धारा 390 से धारा 398 तक के प्रावधान प्रासंगिक हैं, जो इस प्रकार हैं:

“390. लूट — प्रत्येक लूट में या तो चोरी होती है या उगाही।

जब चोरी लूट होती है — चोरी को “लूट” कहा जाएगा यदि चोरी करने के उद्देश्य से, या चोरी करते समय, या चोरी की गई संपत्ति को ले जाते समय अथवा ले जाने का प्रयास करते समय, अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को मृत्यु, चोट या अवैध निरोध कारित करता है या करने का प्रयास करता है, अथवा उसे तत्काल मृत्यु, तत्काल चोट या तत्काल अवैध निरोध का भय उत्पन्न करता है।

जब उगाही लूट होती है — उगाही को “लूट” कहा जाएगा यदि अपराधी, उगाही करते समय, उस व्यक्ति की उपस्थिति में हो जिसे भय में डाला गया है, और वह उस व्यक्ति को तत्काल मृत्यु, तत्काल चोट या तत्काल अवैध निरोध का भय उत्पन्न कर उगाही करता है, तथा इस प्रकार भय उत्पन्न करके उस व्यक्ति को उसी समय वह वस्तु देने के लिए प्रेरित करता है जो उगाही की गई है।

स्पष्टीकरण — अपराधी को उपस्थित माना जाएगा यदि वह इतना निकट हो कि वह दूसरे व्यक्ति को तत्काल मृत्यु, तत्काल चोट या तत्काल अवैध निरोध का भय उत्पन्न कर सके।

391. डकैती — जब पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से लूट करते

हैं या लूट करने का प्रयास करते हैं, अथवा लूट करने या उसके प्रयास में सम्मिलित तथा उसमें सहायता करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या पाँच या उससे अधिक हो, तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो इस प्रकार लूट करता है, प्रयास करता है या उसमें सहायता करता है, "डकैती" करने वाला कहा जाता है।

392. लूट के लिए दंड — जो कोई लूट करता है, वह कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकती है, तथा वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा; और यदि लूट सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर की गई हो, तो कारावास की अवधि चौदह वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

393. लूट करने का प्रयास — जो कोई लूट करने का प्रयास करता है, वह कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकती है, तथा वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

394. लूट करते समय स्वेच्छा से चोट पहुँचाना— यदि कोई व्यक्ति लूट करते समय या लूट करने का प्रयास करते समय स्वेच्छा से किसी को चोट पहुँचाता है, तो ऐसा व्यक्ति तथा वह प्रत्येक अन्य व्यक्ति जो इस लूट या उसके प्रयास में संयुक्त रूप से सम्मिलित है, आजीवन कारावास से या ऐसे कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकती है, दंडित किया जाएगा तथा वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

395. डकैती के लिए दंड — जो कोई डकैती करता है, वह आजीवन कारावास से या ऐसे कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकती है, दंडित किया जाएगा तथा वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

396. डकैती के साथ हत्या— यदि पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों में से

कोई एक, जो संयुक्त रूप से डकैती कर रहे हों, डकैती करते समय हत्या कर देता है, तो उन सभी व्यक्तियों को मृत्यु दंड, या आजीवन कारावास, या ऐसे कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकती है, दंडित किया जाएगा तथा वे जुर्माने से भी दंडनीय होंगे।

397. लूट या डकैती के समय मृत्यु या गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास — यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक हथियार का उपयोग करता है, या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाता है, या किसी व्यक्ति को मृत्यु अथवा गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास करता है, तो ऐसे अपराधी को दी जाने वाली सजा सात वर्ष से कम नहीं होगी।

398. घातक हथियार से सुसज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयास — यदि लूट या डकैती करने का प्रयास करते समय अपराधी किसी घातक हथियार से सुसज्जित हो, तो ऐसे अपराधी को दी जाने वाली सजा सात वर्ष से कम नहीं होगी।

12.3 धारा 390 भा.दं.सं. के अनुसार 'लूट' के लिए या तो चोरी होती है या उगाही। जब चोरी करने के उद्देश्य से, या चोरी करते समय, या चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाते समय अथवा ले जाने का प्रयास करते समय, अपराधी स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को मृत्यु, चोट या अवैध निरोध कारित करता है या करने का प्रयास करता है, अथवा उसे तत्काल मृत्यु, तत्काल चोट या तत्काल अवैध निरोध का भय उत्पन्न करता है, तो ऐसी चोरी 'लूट' कहलाती है। इसी प्रकार की परिस्थितियों में उगाही भी 'लूट' मानी जाती है। धारा 390 के स्पष्टीकरण के अनुसार, अपराधी को 'उपस्थित' माना जाएगा यदि वह इतना निकट हो कि वह दूसरे व्यक्ति में तत्काल मृत्यु, तत्काल चोट या तत्काल अवैध निरोध का भय उत्पन्न कर सके।

धारा 391 भा.दं.सं. 'डकैती' को परिभाषित करती है। जब पाँच या पाँच से

अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से लूट करते हैं या लूट करने का प्रयास करते हैं, तब ऐसे अभियुक्तों को 'डकैती' करने वाला कहा जाता है।

धारा 392 भा.दं.सं. के अनुसार, जो कोई लूट करता है, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकती है, तथा वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तथापि, यदि लूट सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर की गई हो, तो कारावास की अवधि चौदह वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

धारा 393 भा.दं.सं. के अनुसार लूट करने का प्रयास भी दंडनीय है और इसके लिए सात वर्ष तक के कठोर कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान है।

धारा 394 भा.दं.सं. के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लूट करते समय या लूट करने का प्रयास करते समय स्वेच्छा से चोट पहुँचाता है, तो ऐसा व्यक्ति तथा वह प्रत्येक अन्य व्यक्ति जो इस लूट या उसके प्रयास में संयुक्त रूप से सम्मिलित है, आजीवन कारावास से या ऐसे कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकती है, दंडित किया जाएगा तथा वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 395 भा.दं.सं. 'डकैती' के लिए दंड का प्रावधान करती है। जो कोई डकैती करता है, वह आजीवन कारावास से या ऐसे कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकती है, दंडित किया जाएगा तथा वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

यदि डकैती करते समय पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति हत्या करता है, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को मृत्यु दंड, या आजीवन कारावास, या ऐसे कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकती है, दंडित किया जाएगा तथा वे जुर्माने से भी दंडनीय होंगे।

धारा 397 भा.दं.सं. के अनुसार, यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक हथियार का उपयोग करता है, या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाता है, या किसी व्यक्ति को मृत्यु अथवा गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास करता है, तो ऐसे अपराधी को

दी जाने वाली सजा सात वर्ष से कम नहीं होगी।

इसी प्रकार, यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक हथियार से सुसज्जित हो, तो ऐसे अपराधी को दी जाने वाली सजा सात वर्ष से कम नहीं होगी।

12.4 उपर्युक्त प्रावधानों के संयुक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि 'लूट' का किया जाना अनिवार्य है। 'डकैती' को लूट का ही एक उग्र रूप कहा जा सकता है। यदि पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से लूट करते हैं या लूट करने का प्रयास करते हैं, तो उसे 'डकैती' करना कहा जाएगा। अतः 'लूट' और 'डकैती' के बीच मुख्य अंतर केवल उन व्यक्तियों की संख्या का है, जो संयुक्त रूप से लूट करते हैं या उसका प्रयास करते हैं। 'डकैती' और 'लूट' के लिए दंड समान है, केवल यह अंतर है कि डकैती के मामले में दंड आजीवन कारावास तक हो सकता है। तथापि, 'डकैती के साथ हत्या' के मामले में दंड मृत्यु दंड तक भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई अपराधी किसी घातक हथियार का उपयोग करता है, या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाता है, या मृत्यु अथवा गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास करता है, तो ऐसे अपराधी को दी जाने वाली सजा सात वर्ष से कम नहीं होगी। अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने सही रूप से यह प्रस्तुत किया है कि किसी मामले को धारा 397 भा.दं.सं. के अंतर्गत लाने के लिए वही अपराधी, जो घातक हथियार का उपयोग करता है या किसी को गंभीर चोट पहुँचाता है, न्यूनतम दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

धारा 392 एवं धारा 390 भा.दं.सं. भिन्न शब्दों में विन्यस्त हैं। धारा 390, 394, 397 तथा 398 भा.दं.सं. में 'अपराधी' शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः धारा 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397 एवं 398 भा.दं.सं. के प्रयोजनों हेतु वही व्यक्ति दंडनीय होगा, जिसने लूट की हो अथवा स्वेच्छा से चोट पहुँचाई हो या ऐसी लूट का प्रयास किया हो, तथा जिसने लूट या डकैती करते समय किसी घातक हथियार का उपयोग किया हो, या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाई हो, अथवा मृत्यु या गंभीर चोट पहुँचाने का

प्रयास किया हो। उपर्युक्त के अनुसार अभियुक्त को मात्र सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल वही 'अपराधी' दंडनीय होगा जिसने वास्तव में घातक हथियार का उपयोग किया हो। तथापि, जहाँ तक धारा 391 भा.दं.सं. (डकैती) तथा धारा 396 भा.दं.सं. (डकैती के साथ हत्या) का संबंध है, वहाँ अभियुक्त को सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर भी दोषसिद्ध किया जा सकता है, बशर्ते यह सिद्ध हो कि पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से लूट की या लूट करने का प्रयास किया (अर्थात् डकैती/डकैती के साथ हत्या का अपराध)।

12.5 इस चरण पर इस न्यायालय के निर्णय श्री फूल कुमार(उपर्युक्त) का संदर्भ आवश्यक है। उक्त निर्णय में इस न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 397 एवं 398 का परीक्षण एवं व्याख्या करते हुए कंडिका 5 से 7 में निम्नलिखित अभिवचन एवं निष्कर्ष व्यक्त किए हैं:

“5. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 392 का प्रावधान इस प्रकार है

—

“जो कोई डकैती करता है, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकती है, तथा वह जुर्माने का भी भागी होगा; और यदि डकैती सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर की जाती है, तो कारावास की अवधि चौदह वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।”

धारा 392 के अंतर्गत दी जाने वाली कारावास की सजा सात वर्ष से कम नहीं हो सकती, यदि डकैती करते समय अपराधी किसी घातक हथियार का उपयोग करता है, या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाता है, या मृत्यु अथवा गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास करता है; जैसा कि धारा 397 में प्रावधान है। धारा 397 में प्रयुक्त शब्द "उपयोग करता है" के अर्थ को लेकर विभिन्न उच्च न्यायालयों में कठिनाई उत्पन्न हुई थी।

इस धारा में प्रयुक्त "अपराधी" शब्द, जैसा कि कई उच्च न्यायालयों ने सही रूप से माना है, केवल उसी अपराधी तक सीमित है जो वास्तव में घातक हथियार का उपयोग करता है। डकैती करते समय एक अपराधी द्वारा घातक हथियार का उपयोग, दूसरे ऐसे अपराधी पर, जिसने कोई घातक हथियार उपयोग नहीं किया, धारा 397 के अंतर्गत न्यूनतम दंड लागू करने का आधार नहीं बन सकता। इसी दृष्टिकोण से, किसी एक अपराधी द्वारा बंदूक का उपयोग—चाहे वह आरोपी राम कुमार हो या कोई अन्य (निश्चय ही कोई एक व्यक्ति था जिसने तीन गोलियाँ चलाई)—अपीलकर्ता को धारा 397 के अंतर्गत दंडित करने का आधार नहीं बन सकता और न ही बनाया गया। जहाँ तक अपीलकर्ता का प्रश्न है, उसके संबंध में कहा गया है कि वह चाकू से सुसज्जित था, जो कि एक घातक हथियार है। अधिक स्पष्ट रूप से, अभियोजन साक्षी 16 के साक्ष्य से यह स्थापित है कि "फूल कुमार के हाथ में चाकू था।" अतः वह एक ऐसा घातक हथियार लिए हुए था जो पीड़ितों को भयभीत या आतंकित करने के लिए पर्याप्त था। धारा 397 के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह चाकू लहराए या उससे गंभीर चोट पहुँचाए; केवल उसका इस प्रकार से धारण करना ही पर्याप्त है जिससे पीड़ितों में भय उत्पन्न हो सके।

6. धारा 398 में "किसी घातक हथियार से सुसज्जित" शब्दावली का प्रयोग किया गया है, और इसमें भी न्यूनतम दंड सात वर्ष का ही प्रावधान है, यदि डकैती करने का प्रयास करते समय अपराधी किसी घातक हथियार से सुसज्जित हो। इससे एक विसंगति उत्पन्न होती है। यह मानना अव्यावहारिक होगा कि यदि कोई अपराधी केवल डकैती का

प्रयास करता है और उसमें सफल नहीं होता, फिर भी यदि वह किसी घातक हथियार से सुसज्जित है तो उसे धारा 398 के अंतर्गत सात वर्ष का न्यूनतम दंड मिलेगा; जबकि वही अपराधी, यदि वास्तव में डकैती करने में सफल हो जाता है, तो मात्र घातक हथियार से सुसज्जित होने के आधार पर धारा 397 के अंतर्गत न्यूनतम दंड का भागी नहीं होगा। तब प्रश्न उठता है कि विधायिका ने इन दोनों धाराओं में भिन्न शब्दों— धारा 397 में "उपयोग करता है" और धारा 398 में "सुसज्जित है"—का प्रयोग किस उद्देश्य से किया। हमारे मत में यह विसंगति तब दूर हो जाती है जब इन दोनों शब्दों को समान अर्थ प्रदान किया जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों धाराओं में भिन्न अभिव्यक्तियों के प्रयोग के पीछे एक युक्तिसंगत कारण है। जब कोई अपराधी डकैती करते समय किसी घातक हथियार से सुसज्जित होता है और वह हथियार पीड़ित की दृष्टि में होता है, जिससे उसके मन में भय उत्पन्न हो सके, तो यह माना जाएगा कि अपराधी ने डकैती के दौरान उस घातक हथियार का "उपयोग" किया है। इसके विपरीत, यदि कोई अपराधी डकैती करने के प्रयास के समय घातक हथियार से सुसज्जित है, तो उस स्थिति में उस हथियार का वास्तविक उपयोग नहीं हुआ माना जाएगा, क्योंकि उसका उपयोग तभी सार्थक होता जब अपराधी डकैती करने में सफल होता।

7. यदि अपराधी द्वारा डकैती के दौरान किसी घातक हथियार का वास्तव में उपयोग किया जाता है—जैसे किसी को गंभीर चोट पहुँचाने, मृत्यु कारित करने या ऐसे ही अन्य कार्यों में—तो निःसंदेह यह "उपयोग" माना जाएगा। *चंद्र नाथ बनाम सम्मट (एआईआर 1932 अवध 103)*, *नागर सिंह बनाम सम्मट (एआईआर 1933 लाह 35)* और *इंदर सिंह*

बनाम सम्राट (एआईआर 1934 लाह 522) के मामलों में यह माना गया है कि यदि कोई प्रत्यक्ष कृत्य किया जाए, जैसे—किसी व्यक्ति को भयभीत करने के लिए उसके सामने हथियार लहराना या उसे डराने के लिए घातक हथियार दिखाना—तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के प्रावधानों को आकर्षित करता है। इसी प्रकार, *गोविंद दिपाजी मोरे बनाम राज्य (एआईआर 1956 बॉम्बे 353)* में बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जे.सी. शाह और व्यास, जे.जे. ने कहा कि यदि चाकू का उपयोग इस उद्देश्य से किया गया हो कि व्यक्ति के मन में ऐसा भय उत्पन्न किया जाए कि वह अपनी संपत्ति सौंपने के लिए विवश हो जाए, तो यह धारा 397 के अर्थ में "हथियार का उपयोग" माना जाएगा।

उस मामले में भी अपीलकर्ता के विरुद्ध साक्ष्य यह था कि वह पीड़ित की दुकान पर जाते समय अपने हाथ में चाकू लिए हुए था। हमारे मत में यही विधि का सही दृष्टिकोण है, और चांद सिंह मामला में "उपयोग करता है" शब्द को दिया गया संकीर्ण अर्थ सही नहीं है।

12.6 उपरोक्त दृष्टिकोण को इस न्यायालय ने बाद में **दिलावर सिंह बनाम दिल्ली राज्य** के मामले में पुनः दोहराया है, और कंडिकाओं 19 से 21 में निम्नलिखित कहा गया तथा अभिनिर्णीत किया गया है:

"19. धारा 397 भारतीय दंड संहिता के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं

—

1. अभियुक्त ने डकैती की।
2. डकैती या दस्युता करते समय—(i) अभियुक्त ने किसी घातक हथियार का उपयोग किया; (ii) किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाई; (iii) किसी व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास किया।

3. "अपराधी" शब्द का अभिप्राय केवल उस व्यक्ति से है जिसने वास्तव में घातक हथियार का उपयोग किया हो। यदि केवल एक अभियुक्त ने घातक हथियार का उपयोग किया है, तो अन्य अभियुक्तों को धारा 397 के अंतर्गत न्यूनतम दंड नहीं दिया जा सकता। यह प्रावधान केवल व्यक्तिगत दायित्व को ही मान्यता देता है, न कि दांडिक साड़ी दायित्व को। अतः धारा 397 भारतीय दंड संहिता केवल उसी विशिष्ट अभियुक्त पर लागू होगी जिसने घातक हथियार का उपयोग किया हो या धारा में वर्णित अन्य कृत्यों को अंजाम दिया हो। अन्य सह-अभियुक्त इस धारा के अंतर्गत सह-अभियुक्त के कृत्यों के लिए प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराए जा सकते।

20. जैसा कि इस न्यायालय ने फूल कुमार बनाम दिल्ली प्रशासन में कहा है, धारा 397 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत "अपराधी" शब्द केवल उसी अपराधी तक सीमित है जो वास्तव में किसी घातक हथियार का उपयोग करता है। डकैती करते समय एक अपराधी द्वारा घातक हथियार का उपयोग, ऐसे अन्य अपराधी पर, जिसने कोई घातक हथियार उपयोग नहीं किया, धारा 397 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत न्यूनतम दंड लागू करने का आधार नहीं बन सकता। धारा 397 और धारा 398 भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त "उपयोग करता है" और "सुसज्जित होना" के बीच स्पष्ट अंतर है। धारा 397 भारतीय दंड संहिता में "उपयोग करता है" का अर्थ मात्र घातक हथियार से सुसज्जित होने से अधिक है; अर्थात् केवल हथियार रखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका ऐसा प्रयोग या प्रदर्शन होना चाहिए जिससे भय उत्पन्न हो या वह अपराध के क्रियान्वयन से जुड़ा हो।

21. उक्त प्रकरण में यह निर्विवाद है कि कोई चोट पहुँचाई नहीं गई थी। तथापि, पीड़ित के मन में भय उत्पन्न करने के उद्देश्य से अपराधी द्वारा हथियार का प्रयोग करना पर्याप्त है। यह आवश्यक नहीं है कि यह भी प्रदर्शित किया जाए कि उस हथियार का वास्तव में काटने, छुरा घोंपने या गोली चलाने के लिए उपयोग किया गया था। [देखें: अशफाक बनाम राज्य (दिल्ली सरकार), (2004) 3 एससीसी 116: 2004 एससीसी (क्रि) 687: एआईआर 2004 एससी 1253]।

12.7 अतः, इस न्यायालय द्वारा उपर्युक्त दो निर्णयों में प्रतिपादित विधि के अनुसार, धारा 397 भा.दं.सं. के अंतर्गत 'अपराधी' शब्द उसी अपराधी तक सीमित है जिसने वास्तव में किसी घातक हथियार का प्रयोग किया हो। डकैती के समय एक अपराधी द्वारा घातक हथियार के उपयोग मात्र से उस अन्य अपराधी पर, जिसने कोई घातक हथियार प्रयोग नहीं किया हो, धारा 397 भा.दं.सं. के अंतर्गत न्यूनतम दंड लागू नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, धारा 397 और धारा 398 भा.दं.सं. के बीच स्पष्ट अंतर है। धारा 397 में प्रयुक्त शब्द है "उपयोग करता है", जबकि धारा 398 में प्रयुक्त शब्द है "अपराधी किसी भी घातक हथियार से लैस है"। अतः धारा 397 भा.दं.सं. के लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित 'अपराधी' स्वयं घातक हथियार का 'प्रयोग' करे; तभी धारा 397 आकर्षित होगी।

उपरोक्त अवलोकनों तथा इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त दो निर्णयों में प्रतिपादित विधि के आलोक में, वर्तमान अपीलों में अभियुक्तों के पक्ष का परीक्षण किया जाना अपेक्षित है। अभियोजन के कथन तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान अभियुक्त 1 एवं 3 पर किसी भी हथियार के प्रयोग का आरोप नहीं है। हथियार के उपयोग का आरोप केवल बेनी तथा प्रभाकरण के विरुद्ध था। अतः, अपीलकर्ताओं—अभियुक्त संख्या 1 एवं 3—द्वारा किसी घातक हथियार के प्रयोग का कोई आरोप न होने के कारण, धारा 397

भा.दं.सं. उनके विरुद्ध लागू नहीं होती। इस सीमा तक अपीलकर्ताओं—अभियुक्तों की ओर से प्रस्तुत यह तर्क सही है कि उन्हें धारा 397 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जाना चाहिए था।

13. तथापि, अगला प्रश्न जो इस न्यायालय के विचारार्थ प्रस्तुत होता है, यह है कि जब यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अभियुक्तों को धारा 397 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता, तो क्या उनकी दोषसिद्धि एवं दंड को धारा 391 भा.दं.सं. के अंतर्गत बनाए रखा जा सकता है या नहीं।

14. अब जहाँ तक अभियुक्तों की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता—अभियुक्तों को धारा 397 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता तथा धारा 391 भा.दं.सं. सहपठित धारा 395 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध (अर्थात् पाँच या अधिक व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से डकैती करना) के लिए आवश्यक तत्व स्थापित नहीं किए गए हैं, क्योंकि केवल चार व्यक्तियों का ही परीक्षण हुआ और अधीनस्थ न्यायालयों ने अभियुक्तों को धारा 391 सहपठित धारा 395 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया—इस संबंध में प्रारंभ में यह उल्लेखनीय है कि सभी अभियुक्तों पर विचारण न्यायालय द्वारा धारा 395 भा.दं.सं. तथा धारा 397 भा.दं.सं. दोनों के अंतर्गत आरोप आरोपित किए गए थे। इन्हीं आरोपों के आधार पर मुकदमे का परीक्षण हुआ। अतः, यदि धारा 391 भा.दं.सं. सहपठित धारा 395 भा.दं.सं. का मामला बनता है, तो अभियुक्तों को उक्त अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि इससे अभियुक्तों को कोई प्रतिकूलता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय द्वारा **रमेशभाई मोहनभाई कोली बनाम गुजरात राज्य**, (2011) 11 एससीसी 111 में यह प्रतिपादित किया गया है कि जब किसी गंभीर अपराध का आरोप सिद्ध नहीं होता, तब भी किसी लघु अपराध के लिए, भले ही उसके लिए पृथक आरोप न लगाया गया हो, दोषसिद्धि को बनाए रखा जा सकता है। यह भी अवलोकित किया गया है कि यदि किसी अभियुक्त पर गंभीर अपराध का आरोप लगाया गया हो, किन्तु वह गुण-दोष के आधार पर

या तकनीकी कारणों से सिद्ध न हो, तो उसे बिना आरोप में संशोधन किए भी लघु अपराध के लिए दोषसिद्ध एवं दंडित किया जा सकता है। कंडिका 31 एवं 43 में इस प्रकार कहा गया है: —

“31. समय के साथ-साथ ऐसे अधिकाधिक मामले इस न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष विचारार्थ आए। विधि का विकास हुआ है, किन्तु उपर्युक्त निर्णयों में प्रतिपादित मूल सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सामान्यतः किसी गंभीर अपराध में अपने भीतर किसी लघु किंतु समान प्रकृति के अपराध के आवश्यक तत्व निहित होते हैं। दूसरे शब्दों में, अपराधों के विभिन्न वर्ग होते हैं, जैसे—मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध तथा छल, गबन, जालसाजी आदि से संबंधित अपराध। सामान्य परिस्थितियों में गंभीर एवं कम गंभीर अपराधों का प्रश्न प्रायः एक ही वर्ग के अपराधों के भीतर उत्पन्न होता है, न कि भिन्न-भिन्न वर्गों के बीच। अभियोजन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह विधि के अनुसार समस्त साक्ष्य एकत्र करे ताकि वह आरोपित अपराध को संदेह से परे सिद्ध कर सके। किन्तु केवल उन्हीं मामलों में, जहाँ प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय यह पाता है कि गंभीर अपराध गुण-दोष के आधार पर या किसी तकनीकी कारण से सिद्ध नहीं हो सका है, तब भी न्यायालय अभियुक्त को कम गंभीर प्रकृति के अपराध के लिए दंडित कर सकता है।

43. उपर्युक्त कथनों के पश्चात् अब यह परीक्षण करना आवश्यक है कि “गंभीर” और “कम गंभीर” के अंतर को छोड़कर कौन-से अपराध एक ही श्रेणी में आते हैं। हम पहले ही यह देख चुके हैं कि किसी जघन्य या गंभीर अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति को उसी प्रकार के कम गंभीर अपराध के

लिए दंडित किया जा सकता है, यदि उसके आवश्यक तत्व अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से सिद्ध होते हों। इस प्रकार के उदाहरण पूर्व में भी दिए जा चुके हैं, जैसे—यदि किसी अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप लगाया गया हो, तो परिस्थितियों एवं तथ्यों के आधार पर उसे धारा 304 भाग I या भाग II के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। इसी प्रकार, यदि किसी व्यक्ति पर धारा 326 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप लगाया गया हो, तो प्रकरण के तथ्यों के आधार पर उसे कम गंभीर अपराध के लिए धारा 325 या धारा 323 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जा सकता है।”

15. इसके अतिरिक्त, दंड/सजा के संदर्भ में धारा 391/395 और धारा 397 भा.दं.सं. के बीच मूलतः कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि धारा 397 के अंतर्गत न्यूनतम सजा सात वर्ष निर्धारित है। अन्यथा, "लूट" और "डकैती" दोनों ही मूल तत्व हैं। 'डकैती' वस्तुतः 'लूट' का ही विस्तृत रूप है, जिसमें केवल अभियुक्तों की संख्या का अंतर होता है। अतः, यदि किसी मामले में अभियुक्त को धारा 397 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता, तब भी उसे धारा 395 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है और इससे उसे कोई प्रतिकूलता नहीं होगी, क्योंकि अंततः अभियोजन को 'लूट' या 'डकैती' को सिद्ध करना ही होता है—चाहे वह धारा 395 के अंतर्गत हो या धारा 397 के अंतर्गत। हालाँकि, धारा 397 के अंतर्गत मामला स्थापित करने के लिए अभियोजन को एक अतिरिक्त तथ्य सिद्ध करना आवश्यक होता है, अर्थात्—अपराधी ने किसी घातक हथियार का उपयोग किया हो, या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाई हो, अथवा मृत्यु या गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास किया हो। इस प्रकार, मामला धारा 391 सहपठित धारा 395 भा.दं.सं. के अंतर्गत सिद्ध होता है। भले ही अधीनस्थ न्यायालयों ने अभियुक्तों को धारा 397 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया हो, जो कि अस्थिर पाया गया है, फिर भी यदि धारा 391 सहपठित धारा 395 के अंतर्गत अपराध सिद्ध होता है, तो अभियुक्तों को बिना आरोप में परिवर्तन किए भी उसी के अंतर्गत

दोषसिद्ध किया जा सकता है। जैसा कि वर्तमान मामले में भी उल्लेखित है, विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 395 तथा 397 भा.दं.सं. दोनों के अंतर्गत आरोप निर्धारित किए थे।

16. अब अपीलार्थियों-अभियुक्तों की इस दलील के संबंध में कि धारा 391 भा.दं.सं. के अंतर्गत भी कोई मामला नहीं बनता और उन्हें धारा 395 के अंतर्गत दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों ने मिलकर डकैती की हो, जबकि वर्तमान मामले में केवल चार व्यक्तियों का ही विचारण हुआ—यह तर्क स्वीकार्य नहीं है। यह ध्यान देने योग्य है कि प्राथमिकी में ही पाँच व्यक्तियों द्वारा लूट करने का उल्लेख था। यहाँ तक कि आरोप-पत्र भी पाँच व्यक्तियों के विरुद्ध दाखिल किया गया था। किन्तु, दो अभियुक्तों के फरार हो जाने के कारण मुकदमे को विभाजित किया गया और तीन अभियुक्तों का विचारण हुआ। बाद में एक अन्य अभियुक्त (बेनी) का विचारण किया गया, जबकि एक अभियुक्त अब भी फरार है। इसके अतिरिक्त, अधीनस्थ सभी न्यायालयों द्वारा यह समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि अपराध के दौरान पाँच व्यक्तियों की संलिप्तता थी। केवल इस कारण कि कुछ अभियुक्त फरार हो गए और पाँच से कम व्यक्तियों का ही विचारण हुआ, यह नहीं कहा जा सकता कि धारा 391 भा.दं.सं. (जिसके अंतर्गत धारा 395 के तहत दंडनीय अपराध है) लागू नहीं होती। महत्वपूर्ण यह है कि साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध हो कि पाँच या अधिक व्यक्तियों ने मिलकर लूट की या उसका प्रयास किया—न कि यह कि कितने व्यक्तियों का विचारण हुआ। अतः, जब साक्ष्यों से यह स्थापित हो जाता है कि पाँच या अधिक व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से लूट का अपराध किया या उसका प्रयास किया, तो वह मामला धारा 391 भा.दं.सं. के अंतर्गत आएगा और 'डकैती' की परिभाषा में आएगा। इस प्रकार, प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्तों को धारा 391 सहपठित धारा 395 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जा सकता है।

17. अब अभियुक्तों की इस दलील के संबंध में कि बाद के पृथक विचारण में

एक अभियुक्त—बेनी—बरी हो गया, इसलिए उसके बरी होने का लाभ वर्तमान अभियुक्तों को भी दिया जाना चाहिए और उन्हें भी बरी किया जाना चाहिए—यह तर्क निराधार है। प्रारंभ में ही यह ध्यान देने योग्य है कि अभियुक्तों का परीक्षण और दोषसिद्धि उस साक्ष्य के आधार पर होती है जो उस विशेष मुकदमे में प्रस्तुत किया गया हो जिसमें उन्हें दोषसिद्ध किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि बेनी का विचारण लगभग 15 वर्ष बाद हुआ, क्योंकि वह फरार था और उसका मामला अलग कर दिया गया था। बेनी के मामले में पारित बरी किए जाने के निर्णय से प्रतीत होता है कि मुख्य साक्षी अभियोजन साक्षी-1 उस मुकदमे में पक्षद्रोह हो गया था। साथ ही, बेनी के मुकदमे में केवल पाँच गवाहों का परीक्षण हुआ, और अन्य गवाहों का परीक्षण किन कारणों से नहीं हुआ, यह स्पष्ट नहीं है। इसके विपरीत, वर्तमान मामले में अभियोजन साक्षी-1 ने अभियोजन के मामले का समर्थन किया और कुल 15 गवाहों का परीक्षण किया गया। अतः केवल इस आधार पर कि बाद के पृथक विचारण में बेनी को बरी कर दिया गया, वर्तमान अपीलार्थी-अभियुक्तों को उस बरी होने का लाभ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अभियोजन वर्तमान अभियुक्तों के विरुद्ध अपना मामला सिद्ध करने में सफल रहा है। इस चरण पर इस न्यायालय के निर्णयों—**अमृता बनाम मध्य प्रदेश राज्य**, (2004) 12 एससीसी 224, **गंगाधर बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य**, (2002) 8 एससीसी 381 और **राजा बनाम राज्य**, (2013) 12 एससीसी 674—का उल्लेख करना आवश्यक है। **अमृता** (उपरोक्त) के मामले में यह कहा गया है कि मात्र इस आधार पर कि समान साक्ष्य के आधार पर कुछ अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सभी अभियुक्तों को बरी किया जाना चाहिए, बशर्ते कि साक्ष्य के समुचित मूल्यांकन के आधार पर बरी करने और दोषसिद्धि के लिए उचित कारण दिए गए हों। इसी प्रकार का दृष्टिकोण **राजा** (उपरोक्त) तथा **गंगाधर** (उपरोक्त) के मामलों में भी व्यक्त किया गया है। अतः, उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिनके कारण बेनी के मामले में बरी होने का निर्णय हुआ, तथा वर्तमान अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत कर अपराध सिद्ध कर दिया गया है, इस

स्थिति में अपीलार्थी-अभियुक्तों को बरी नहीं किया जा सकता।

18. उपरोक्त तथ्यों एवं कारणों के आधार पर, दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं, इस सीमा तक कि अपीलार्थी-अभियुक्तों की धारा 397 भा.दं.सं. के अंतर्गत की गई दोषसिद्धि को अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है। अतः, धारा 397 भा.दं.सं. के अंतर्गत अभियुक्तों की दोषसिद्धि को अभिखंडित किया जाता है और अपीलार्थी-अभियुक्तों को धारा 391 भा.दं.सं. सहपठित धारा 395 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। उन्हें सात वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹2,000/- का अर्थदंड दिया जाता है, और अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में अतिरिक्त छह माह का कठोर कारावास भुगतना होगा। अपीलें उपर्युक्त सीमा तक ही आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं।

देविका गुजराल

अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की गईं।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।

